कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ। लखनऊ:दिनांकः 🎶 दिसम्बर, 2014 संख्याः-एमई / विधि / 2014 / 115 4

FOR ATTENTION OF ALL CLINICAL ESTABLISHMENTS (INCLUDING AYUSH HOSPITALS, DISPENSARIES ETC) IN UTTAR PRADESH

You are hereby instructed to adhere strictly to the guidelines issued by the Hon'ble high Court Allahabad, Bench, Lucknow in writ petitions 11289/13 (M/B) and 7157/14 (M/B) Judgment dated 12-09-2014, wherein, the Hon'ble court has been please to instruct that to instruct that all clinical establishments shall provide the copy of medical records to the patients or their attendants as the case may be at the time of discharge from their respective clinical establishment. In any case, for any compelling reasons, the medical records are not provided at the time of discharge, then it shall be provided within 72 hours. No clinical establishment (supra) shall work unless they are registered with the State Government by an authority provided for the purpose or Chief Medical Officer of the district concerned as the case may be.

You are hereby also instructed to access full text of the office order and High Court order in this regard at "www.updgme.in" and ensure compliance to all points.

> Issued by Principal Secretary, Medical Education Govt. of Uttar Pradesh

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। लखनऊः दिनांक

संख्या-एमर्ज्ठ / विधि / 2014 / 1155 - 5 Q प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

2— मेसर्स एम०एम० एडवरटाइजिंग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा दैनिक हिन्दुस्तान के उ०प्र० के समस्त संस्करणों में तथा टाइम्स आफ इण्डिया एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) के उ०प्र० के समस्त संस्करणों में दिनांक 12.12.2014 को सूक्ष्म अक्षरों, न्यूनतम स्थान एवं डी०ए०वी०पी० दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

3— आहरण–वितरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।

4- महानिदेशक के शिविर सहायक को सूचनार्थ।